(172)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

प्रकरण क्रमांक 1126–दो/2007 निगरानी – विरूद्ध आदेश दिनांक 2–7–2007 पारित द्वारा आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा – प्रकरण क्रमांक 277/2005–06 अपील

जर्नादन प्रसाद तिवारी पुत्र रामेश्वर प्रसाद तिवारी

फोत वारिस

1– श्रीमती आशा तिवारी पत्नि स्व. जर्नादन प्रसाद

2– अनुराग तिवारी पुत्र जनार्दन प्रसाद

निवासी खुटेही सिविल लायन तहसील हुजूर जिला रीवा ---आवेदकगण

विरूद्ध

1– सुश्री रमातन्खा पुत्री स्व. अवतार कृष्ण तन्खा

निवासी खुटेही सिविल लायन तहसील हुजूर जिला रीवा

2– मध्य प्रदेश शासन --अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री मुकेश भार्गव)

(अनावेदक क्र–1के अभिभाषक श्री आर0डी0शर्मा)

आ दे श

(आज दिनांक 17 – 8 –2017 को पारित)

यह निगरानी आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण क्रमांक 517/1992–93 अपील में पारित आदेश दिनांक 2–7–2007 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अपर कलेक्टर जिला रीवा ने प्रकरण क्रमांक 39/अ–74/2005–06 में पारित आदेश दिनांक 27–6–2006 से मध्य

प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 107 के अंतर्गत ग्राम खुटही की भूमि सर्वे नंबर 103 रकबा 0.08 डि. को नक्शा में सॅशोधित कर सर्वे नंबर 114 के अंश रकबे तथा आ. नं. 103 के नक्शे में संशोधन के आदेश दिये। इस आदेश के विरूद्ध आयुक्त रीवा संभाग रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण क्रमांक 517/1992-93 अपील में पारित आदेश दिनांक 2-7-2007 से अपर कलेक्टर का आदेश दिनांक 27-6-2006 निरस्त कर दिया तथा प्रकरण हितबद्ध पक्षकारों की पुर्नसुनवाई हेतु प्रत्यावर्तित किया। आयुक्त रीवा संभाग के इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क श्रवण करना चाहे, किन्तु उन्होंने लेखी बहस प्रस्तुत की। अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत लेखी बहस में उठाये गये बिन्दुओं के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख एंव आयुक्त, रीवा संभाग, के आदेश दिनांक 2-7-2007 एंव अपर कलेक्टर के आदेश दिनांक 27-6-2006 के अवलोकन पर स्थिति यह है कि आवेदक जर्नादन प्रसाद तिवारी ने अपने जीवनकाल में अपर कलेक्टर के समक्ष संहिता की धारा 107 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत कर भूमि के नक्शा सुधार की मांग की गई, किन्तु अपर कलेक्टर ने आदेश दिनांक 27-6-2006 पारित करने के पूर्व मेढ़िया कास्तकारों को सूचना नहीं दी है तथा इस्तहार का भी प्रकाशन नहीं किया है, जबकि अपर कलेक्टर ने तहसीलदार के जॉच प्रतिवेदन एंव पटवारी हलका की रिपोर्ट को आधार मानकर आदेश पारित किया है जिसके कारण आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने आदेश दिनांक 2-7-2007 से अपर कलेक्टर के दोषपूर्ण आदेश को निरस्त करके समस्त पक्षकारों की सुनवाई हेतु प्रकरण प्रत्यावर्तित किया है । प्रकरण प्रत्यावर्तित होने के फलस्वरूप आवेदक को एंव अन्य हितबद्ध पक्षकारों को अपर कलेक्टर के समक्ष पक्ष रखने का उपचार प्राप्त

है जिसके कारण विचाराधीन निगरानी में आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के आदेश दिनांक 2-7-2007 में हस्तक्षेप का औचित्य नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी निरस्त की जाती है एंव आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा द्वारा प्रकरण क्रमांक 517/1992-93 अपील में पारित आदेश दिनांक 2-7-2007 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

(एस.एस.अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर